न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– ज्योत्सना खेड़ा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 22/2024	तारीख रजू 14.09.2024	तारीख निर्णय 03.09.2025

1. अरविन्द कुमार पुत्र कमलेश मीना निवासी बड़ौद तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रार्थी

बनाम

1. मंश पुत्र माध्या जाति मीना निवासी बड़ौद तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खण्डार।
3. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री नागाराम मीना वकील प्रार्थी की ओर से

श्री हरिलाल बैरवा, रमेश चन्द गौत्तम वकील अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।
   - यह कि प्रार्थी ग्राम बड़ोद का निवासी है तथा अप्रार्थी नं. 1 भी ग्राम बड़ोद का निवासी है तथा अप्रार्थी सं. 2 बैंक ऑफ बड़ोदा है जिसके यहा उक्त प्रार्थी या जमीन रहन है। तथा अप्रार्थी सं. 3 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अन्य सह खातेदारो से कोई रिलीफ नही चाहने से पक्षकार नही बनाया ।
   - प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थी सीधा सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति है अप्रार्थी सं. 1 चतुर चालाक सदस्य है।
   - प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कब्जे कास्त कि आराजी खसरा नं. 85 रकवा 4 बीघा 16 विस्वा आराजी खसरा नं. 87 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा खसरा नं. 98 रकवा 3 बीघा 4 विस्वा खसरा नं. 14. रकवा 5 बीघा 5 विस्वा बांके ग्राम बड़ोद में स्थित थी। जिसमें से अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा था जिसे प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.04.2017 को जरिये रजिस्र्टड विक्रय. पत्र अप्रार्थी सं. 1 से 1,00,000/– एक लाख रूपये मे खरीद कर ली एवं खसरा सं. 140 रकवा 5 बीघा 5 [illegible] अप्रार्थी सं. 1 से 4/105 हिस्सा क्रय किया तथा वरक्त विक्रय पत्र त[illegible] क[illegible] समय ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को उक्त आराजी[illegible] तब से ही प्रार्थी के कब्जे कास्त मे चली आ रही है।
   - उस समय उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 2 के यहा रहन थी इस कार[illegible]स समय उक्त आराजीयात का ज्ञामान्तकरण प्रार्थी के नाम नही खुल पाया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को आश्वान दिया कि मैं जल्दी ही रहन से मुक्त करवाकर नामान्तकरण आपके नाम करवा दूंगा प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक परिवार के होने से विश्वास कर लिया किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

FORM NO. III

अप्रार्थी सं. 1 ने पद नियत से उक्त जमीन को रहन मुक्त नही करवाया तथा प्रार्थी के कहने पर मुझे आश्वासन देता रहा कि जल्दी ही रहन मुक्त करवा दूंगा ।

- अब जमीनो की किमत बढ़ जाने के कारण अप्रार्थी के मन मे लालच आ जाने से रहन मुक्त नही करवा रहा है तथा जब प्रार्थी ने दिनांक 30.07.2024 को अप्रार्थी सं. 1 से रहन मुक्त करवाने को कहा तो अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रहन मुक्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया और नाराज हो कर कहा कि मैं इस जमीन को तेरे नाम नही होने दूंगा तथा अब इस जमीन को किसी अन्य को बेच दूंगा जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है । एवं प्रार्थी के हितों पर कुठारा घात है इसलिए अब प्रार्थी के पास अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए वादपत्र पेश करने व अपने को खातेदार घोषित करवाने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नही होने से प्रार्थना पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया।
- प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुख सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है ।
- अतः सेवामें प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के हिस्से की कास्त में कोई व्यवधान पैदा नही करें तथा उक्त विवादित आराजीयात को कही अन्यंत्र बेचान नहीं करें।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।
3. अप्रार्थीगणों की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया है।

- अप्रार्थी संख्या 1 मन्साराम की पैतृक आराजी खाता संख्या नया 25 खाता संख्या पुराना 23 स्थित बड़ोद पटवार हल्का बडोद की सम्पूर्ण आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर के अनुसार 1/4 हिस्सा है। व खसरा नम्बर 87 में सम्पूर्ण हिस्सा है।
- अप्रार्थी 1 की 1/4 हिस्से पर सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी 1 व अन्य हिस्से पर सहखातेंदार कास्त करते आ रहे है उक्त आराजी शामिल आराजी जिसका सहखातेदार अप्रार्थी के मध्य बंटवारा नही हुआ है।
- अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 1 को कोई बेचान नही किया ना ही कोई रजिस्ट्री करवाई खसरा नम्बर 85, 87, 98,14, स्थित बड़ोद में से अपने हिस्से की कोई रजिस्ट्री नही करवाई।
- रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मन्सा बहक अरविन्द्र कुमार दिनांक 18.04.2017 को रजिस्ट्री होना बताया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने रजिस्ट्री बाबत् स्टाम्प संख्या बी 618858 लगायत बी 618862 क्रय नही किया ना ही कोई रजिस्ट्री करवाई तथा कथित रजिस्ट्री मुझे अप्रार्थी संख्या का 1 को मुगालता देकर करवाई है जो निरस्तनीय है [illegible] जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की आराजी [illegible] र के.सी. को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खण्डार के पक्ष में 03.10.2015 को [illegible] सी. ऋण ले रखा है।
- प्रार्थी एवं अप्रार्थी मंशा के मध्य एक प्रार्थना पत्र [illegible] महोदय खण्डार में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी अरविन्द को पाबन्द किया [illegible] है। प्रार्थी नें प्रकरण में अन्य खातेदार को पक्षकारन नही बनाया गया है एवं सिविल न्यायालय खण्डार में किसी विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र विचाराधीन है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

* श्रीमान् न्यायालय में निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्तनीय है प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रकरण संख्या 14 / 24 उनवान विरेन्द्र बनाम अरविन्द में अरविन्द अप्रार्थी है जिनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ता फैसला मूल प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे उक्त विवादित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान नही करे व रेवेन्यू रिकार्ड को यथा स्थिति बनाये रखे इस प्रकार प्रार्थी विरेन्द्र के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया है कब्जा विरेन्द्र का माना है अरविन्द का कोई कब्जा नहीं माना है अरविन्द ने श्रीमान न्यायालय से निराधार दावा किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से जबाव पेशकर निवेदन है कि जबाव स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने की कृपा करें।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न मौजूदा ग्राम बड़ौद की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 खाता संख्या 25 कुल रकबा 47–05 बीघा अप्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा अंकित है। विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2017 के द्वारा अंकित है कि ग्राम बड़ौद की आराजी खसरा नम्बर 85, 87, 98, में से अप्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 की भूमि का बेचान व आराजी खसरा नम्बर 140 में हिस्सा 4/105 सम्पूर्ण स्वामित्व कब्जे मालिकाना अधिकारों सहित बेचान प्रार्थी को किया जाना अंकित है। प्रथम दृष्टया मामला व सुख सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। यदि प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझती हूँ।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 85 रकबा 4–16 बीघा, खसरा नम्बर 87 रकबा 2–18 बीघा, खसरा नम्बर 98 रकबा 3–04 बीघा, खसरा नम्बर 140 रकबा 5–05 बीघा ग्राम बड़ौद प्रार्थी को बेचान हिस्से अनुसार कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें और किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया, सुनाया गया ।

(ज्योत्सना खेड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested